



कार्यालय राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) वाहिनी मुख्यालय उ०प्र०,

नूरनगर भदरसा, तहसील-सरोजनीनगर, परगना-बिजनौर, लखनऊ-226006

पत्र संख्या: व-37/2021

दिनांक : फरवरी 06, 2024

कार्यालय ज्ञाप

पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: टीएससी-142/2012(IX) दिनांक 30.01.2024 के द्वारा उ०प्र० पुलिस वेबसाइट <https://uppolice.gov.in/> के Police Units मेन्यू के अन्तर्गत State Disaster Response Force से सम्बन्धित धारा 4(1)बी, आर.टी.आई. एक्ट के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में अद्यावधिक किये जाने हेतु आर.टी.आई. मैनुअल में जनसूचना अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के नाम अपडेट किये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सहायक जनसूचना अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है -

क्रम सं	सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
01	श्री आत्म प्रकाश यादव सहायक सेनानायक प्रथम एसडीआरएफ उ०प्र०	श्री हरेन्द्र यादव, उपसेनानायक एसडीआरएफ उ०प्र०	डॉ० सतीश कुमार, सेनानायक, एसडीआरएफ उ०प्र०

अतः सर्वसम्बन्धित तद्नुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


(डॉ० सतीश कुमार)

सेनानायक,
राज्य आपदा मोचन बल उ०प्र०,

लखनऊ।



प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त राजपत्रित अधिकारी, एसडीआरएफ उ०प्र० लखनऊ।
2. रेडियो निरीक्षक/प्रभारी मीडिया सेल उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ से कि उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर एसडीआरएफ कॉलम में आरटीआई से सम्बन्धित सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त दलनायक/शाखा प्रभारी, एसडीआरएफ उ०प्र०।